

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 130/2019/58

भोपाल, दिनांक: 29/1/2019

प्रति,
पदाभिहित अधिकारी (सहायक/उप संचालक उद्यान)
प्रथम अपीलीय अधिकारी (सम्बंधित संभाग का संयुक्त संचालक उद्यान)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी (संचालक, उद्यानिकी)

विषय: मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की सेवा क्रमांक 46.1 फल पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना ।

- 1. सेवा का उद्देश्य :-** इस सेवा का उद्देश्य मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत फल पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना है।
- 2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा :-** इस सेवा के लिए पदाभिहित अधिकारी जिले के सहायक/उप संचालक उद्यान होंगे | यह सेवा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस में प्रदान की जावेगी |
- 3. आवेदन पत्र एवं प्रारूप :-** सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट 1 A अनुसार होगा।
- 4. पात्रता की आवश्यक शर्तें :-** मातृ वृक्ष का रोपण, फेंसिंग, सुनिश्चित सिंचाई स्रोत एवं साधन, तकनीकी कुशल श्रमिक रोपणी के क्षेत्रफल के अनुसार होना आवश्यक है |
- 5. आवश्यक दस्तावेज :-**
 - नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु
 - भू-स्वामित्व दस्तावेज़ की प्रति
 - पहचान पत्र (आधार, मतदाता परिचय पत्र) की प्रति
 - घोषणा निर्धारित प्रपत्र में
 - अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने हेतु
 - पूर्व में जारी अनुज्ञप्ति की प्रति

6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 6.1. आवेदन पत्र, पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में कंडिका-5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6.2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे, अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रदाय की जायेगी।
- 6.3. पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय सीमा का उल्लेख किया जायेगा और यदि आवेदन अपूर्ण है तो समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है उनका उल्लेख प्रदाय अभिस्वीकृति में किया जायेगा।
- 6.4. आवेदन लेते समय आवेदक के मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जाये ताकि आवश्यकतानुसार SMS अलर्ट किया जा सके।
- 6.5. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
- 6.6. संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण किया जावेगा।
- 6.7. आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जावेगी।

7. लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

- 7.1. आवेदन का पंजीयन कंडिका-5 में उल्लेखित दस्तावेज के साथ लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा जिसकी पावती परिशिष्ट-2 में आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी।
- 7.2. आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जायेगा।
- 7.3. ऑनलाइन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय-सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा पावती पर अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।
- 7.4. लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाइन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के अकाउन्ट में ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगा।

7.5. पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका-8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र परंतु समय-सीमा में आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदान की जाएगी।

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया-

- 8.1. आवेदक, अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेज़ के साथ लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत करेगा।
- 8.2. आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना अनिवार्य है, इसके अलावा आधार और ईमेल (यदि उपलब्ध हो) भी दर्ज किया जायेगा।
- 8.3. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदक का आवेदन एवं दस्तावेजों की पूर्ति की जांच की जाएगी।
- 8.4. जाँच में उचित दस्तावेज पाए जाने पर लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा पोर्टल में आवेदन भरा जायेगा एवं सम्बंधित दस्तावेज़ अपलोड किये जायेंगे।
- 8.5. ऑनलाइन आवेदन पदाभिहित अधिकारी के लॉग इन पर प्राप्त होगा।
- 8.6. पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /कर्मचारी को परीक्षण की कार्यवाही हेतु अंकित किया जावेगा।
- 8.7. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण, दस्तावेजों का सत्यापन, मातृ वृक्ष उद्यान के पौधों के प्राप्ति स्रोतों की जांच एवं जल स्रोत का निरीक्षण किया जाएगा।
- 8.8. प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि प्रकरण में कोई आपत्ति नहीं है तो परीक्षण उपरांत फल पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति सक्षम अधिकारी की ओर हस्ताक्षर की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगा।
- 8.9. सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति परिशिष्ट - 3 पर डिजिटल हस्ताक्षर कर ऑनलाइन अनुज्ञप्ति जारी कर दी जावेगी एवं इसकी सूचना एस.एम्.एस. के माध्यम से आवेदक को प्राप्त हो जाएगी।
- 8.10. आवेदक लोक सेवा केंद्र अथवा पोर्टल से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।


9. शुल्क -

- 9.1. अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु: रु 2000/-
- 9.2. तीन वर्ष की अवधि के पश्चात नवीनीकरण: रु 1000/-
- 9.3. लोक सेवा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर उपरोक्त शुल्क के साथ लोक सेवा केंद्र का निर्धारित शुल्क आवेदक द्वारा केंद्र संचालक को दिया जायेगा।

10. अपील- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा:-

- i. आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर
अथवा
- ii. आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेगी-

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
46.1	फल पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना	सम्बंधित संभाग का संयुक्त संचालक उद्यान	15 कार्य दिवस	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्य प्रदेश


 प्रमुख सचिव
 मध्यप्रदेश शासन


उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

पृ० क्र. 131 / 2019/58

भोपाल, दिनांक 29/1/2019

प्रतिलिपि:-

1. मुख्यसचिव, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
2. मुख्यमंत्री के सचिव, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
3. सचिव, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संभागायुक्त, समस्त मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन संचालक, राज्य लोकसेवा अभिकरण भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. NIC मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि, परिपत्र वेवसाईट पर अपलोड की कार्यवाही करें।


 प्रमुख सचिव
 मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

Application to Grant of License for Fruit Plant Nursery

1. Name of Phal Paudh Nursery.....
2. Name of of Owner of nursery and full address
3. Location of Nursery
 - a. District
 - b. Tehsil and Village
 - c. Nearest Railway Station
 - d. Postal Address
 - e. Telephone/ Mobile number
4. Details of Phal paudh nursery
 - a. Particulars of mother plants
 - i. Khasra no. and area (in Ha.)
 - ii. Kind and variety of fruit plants
 - iii. Number of fruit plant
 - iv. Age of fruit plants and source of mothe plants

(if the source of mothe plants is not known, the information regarding disposal of quality of produced fruit be given before the use as mother plants)
 - b. Details of mother plants of original rootstock
 - i. Area and khasra no.
 - ii. Kind and variety of rootstock
 - iii. Quantity of plants
 - iv. Age of plants.....
 - v. Source of mother plants

(if he/she is not the owner of the original mother plants (bud) he/she will have to give the information from where he brought the bud stick)
 - c. Which varieties of fruit plants are proposed to be propagated every year, the information of quantity of grafted, budded or root cut plants be given with the above details:

S.No.	Name of fruit plant	Variety	Method of propagation	No. of propagated plants
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. (i) The period of conducting or carrying on the business of fruit plant nursery –years

(ii) The number of plants propagated and sold during the last two years –

Propagatedplants

Soldplants

(iii) the information of each variety of plants-

S.No.	Name of fruit plant	Variety	Method of propagation	No. of propagated plants
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. The details of available equipment for controlling the insects, pest and plant diseases:

- a.
- b.
- c.
- d.

7. The details of licence fee deposited is as under:

Amount Rs.....

Receipt no.....

Date

DECLARATION

- i. I, hereby declare that the information and particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief
- ii. I, have read the provisions of the rules made under the Act and I promise to comply the provisions of rules as amended from time to time
- iii. I, also promise that I shall propagate the plants of best quality and sell them at such rates as may be fixed by the State Government from time to time
- iv. I also promise that the plants (root stock) which are not available in my nursery will be planted as far as possible in the next season

Place:

Date:.....

(.....)

Signature of Applicant

Postal address with Telephone number

(ii) The number of plants propagated and sold during the last two years –

Propagatedplants

Soldplants

(iii) the information of each variety of plants-

S.No.	Name of fruit plant	Variety	Method of propagation	No. of propagated plants
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. The details of available equipment for controlling the insects, pest and plant diseases:

- a.
- b.
- c.
- d.

7. The details of licence fee deposited is as under:

Amount Rs.....

Receipt no.....

Date

DECLARATION

- i. I, hereby declare that the information and particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief
- ii. I, have read the provisions of the rules made under the Act and I promise to comply the provisions of rules as amended from time to time
- iii. I, also promise that I shall propagate the plants of best quality and sell them at such rates as may be fixed by the State Government from time to time
- iv. I also promise that the plants (root stock) which are not available in my nursery will be planted as far as possible in the next season

Place:

Date:.....

(.....)

Signature of Applicant

Postal address with Telephone number

Application for Renewal of Licence

I/We holding/ we are holding a licence for production and sale of fruit plants issued by competent authority of District/ Division.....vide no dated.....for a period of three years which will expire on

This application is submitted for renewal of the licence

1. Photocopy of existing license in enclosed
2. Information of total area of fruit plant nursery khasra no. and number of mother plants is as under:

Particulars of mother plants-

- a) Khasra Number
 - b) Area
 - c) Kind and Variety of fruit plants.....
 - d) Quantity of fruit plants.....
 - e) Age of fruit plants.....
 - f) Source of mother plants
- (If the sources of mother plants is not known, the information regarding production and quality of fruits be given)

3. The information of quantity of grafted, budded or root-cutting plants be given with the above details:

Name of Fruit plants	Variety	Method of propagation	Number of propagated plants
(1)	(2)	(3)	(4)

4. The details of available equipment for controlling the insects, pests and plant diseases:

- (1).....
- (2).....
- (3).....

5. Information of produced and sold plants in every year is as under:

Year	Name of fruit plant	Variety	Number of produced plants	Number of Sold plants
------	---------------------	---------	---------------------------	-----------------------

(1) (2) (3) (4) (5)

6. The details of fee deposited for renewal of licence is as under:

Amount Rs.

Receipt no.

Date

DECLARATION

- i. I, hereby declare that the information and particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief
- ii. I have read the provisions of the rules made under the Act and I promise to comply with the provision of rules as amended from time to time
- iii. I also promise to comply with the terms and conditions of the licence
- iv. I also promise that I shall sell the best quality of plants at such rates as may be fixed by the State Government from time to time.

Place:

Date:

(.....)

Signature of Applicant

Postal address with Telephone number

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अभिस्वीकृति

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता:

1. आवेदक का नाम एवं पता - _____
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक - _____
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है - _____
4. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए गये हैं - _____
5. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख (अवकाश के दिनों को छोड़कर) - _____

स्थान

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट:- यदि आपके आवेदन पर निर्धारित तिथि/निश्चित की गई समय-सीमा तक कोई कार्यवाही नहीं होती है या आप आपके आवेदन पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट न हों तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी (सम्बंधित संभाग का संयुक्त संचालक उद्यान) के पास पदाभिहित अधिकारी के विनिश्चय से 15 कार्य दिवस के भीतर या निश्चित की गई समय सीमा से 15 कार्य दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

रसीद

आवेदक से निम्नलिखित शुल्क प्राप्त किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्र.	विवरण	शुल्क (रु-)
1	अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु / नवीनीकरण	
2	लोकसेवा केंद्र शुल्क	

स्थान:
दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

LICENCE FOR FRUIT PLANTS NURSERY

(Licence for conducting or carry on the business of fruit plants nursery in the state of Madhya Pradesh)

LICENCE

Book no.

Serial number.....

Licence is for the period from (date)to.....Name of fruit plant nursery.....

I issue this licence to Shri/Smt./Ku.resident of
.....Tehsil.....DistrictMadhya Pradesh for
conducting or carrying on the business of fruit plants nursery, the details of which are as
under for the period commencing fromto.....in
accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Phal –Paudh Ropani (Viniyaman)
Adhiniyam, 2010 (No.3 of 2011) under the following terms and conditions:

Name of fruit plant nursery	Location and land khasra number of fruit plant nursery	Total area of fruit plant nursery	The registered name and variety of fruit plants that will be propagated for the sale
(1)	(2)	(3)	(4)

Place:

Date:.....

(.....)

Signature of Competent Authority
Seal of Designation

